न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 80/2008

वादीनी	ब नाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती मोहर कंवर पुत्री आनंदसिंह धर्मपत्नि धुहडसिंह जाति राजपूत निवासी जुडिया पचपदरा तह. बालेसर		1. धमू कंवर बेवा बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी अराबा उडो तह. पचपदरा 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

निर्णय

दिनांक: 27.9.2017

उपस्थित —

1. श्री वेलाराम कुमावत विद्वान अधिवक्ता, वादीनी की ओर से —

वादीनी की ओर से प्रस्तुत किये गये वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा अराबा उडो में स्व. आनन्दसिंह के खातेदारी का खेत खसरा सं. 123 रकबा 94 बीघा 05 विस्वा आया हुआ है, आनन्दसिंह का स्वर्गवास सन् 1986 में हुआ, तब उनका उत्तराधिकारी ओपन हुआ, धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की प्रथम अनुसूची अनुसार आनन्दसिंहजी के पुत्र बाबूसिंह व उनकी पुत्री मोहर कंवर वारिस हुए, हल्का पटवारी ने आनन्दसिंहजी के वफात के पश्चात फौतगी म्यूटेशन खोलते वक्त उनके वारिस की कोई जांच तक नहीं की, और न वादीनी को उक्त म्यूटेशन खोलते वक्त कोई नोटिस ही दिया और न वादीनी को सुनवाई का अवसर ही दिया । गलत व अवैध तरह से फौतगी म्यूटेशन अकेले पुत्र बाबूसिंह के नाम कर दिया और वादीनी मोहर कंवर का नाम नहीं भरा गया, विधि का यह प्रचलित सिद्धान्त हैं कि वादीनी आनंदसिंहजी की पुत्री होने से बराबर बराबर हिस्से की खातेदार हो चुकी थी, भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीनी काबिज काश्त है, बाबूसिंहजी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीनी सं. 01 का नाम भूमि के रेकर्ड में दर्ज है । प्रतिवादी सं. 1 ने वादीनी के 1/2 कब्जा काश्त में कोई एतराज नहीं किया, वादीनी ने दिनांक 15.02.2008 को जब उपरोक्त तथ्य का ज्ञान होने पर रेकर्ड दुरस्त करवाने का प्रतिवादीनी को निवेदन किया, तो प्रतिवादीनी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और भूमि को खुर्द—बुर्द करने की धमकी दी, प्रतिवादीनी सं. 01 अपने पीहर पक्ष के सिखावे में है, दावे में पैचिदगी पैदा करने हेतु भूमि का बेचान इत्यादि कर भूमि को अस्त—व्यस्त करने का पूरा अंदेशा है। वादीनी द्वारा अपने हकों की सुरक्षार्थ उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा घोषित करने हेतु तथा प्रतिवादनी को भूमि का बेचान नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया, वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीनी को जरिये सम्मन तलब किया, प्रतिवादीनी की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थिति दी, किन्तु बाव्जुद अवसर कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया और न उपस्थित हुए, तदोपरान्त दिनांक 11.09.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीनी की ओर से अपने वाद को साबित करने हेतु मुख्य परीक्षण पी.डब्ल्यू—1 में स्वयं के बयान कलमबद्ध करवाये और वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया और वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—1, प्रदर्श—2, प्रदर्श—3, प्रदर्श—4 प्रस्तुत किये, वादीनी की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई।

चूँकि वादीनी की ओर से जो वाद प्रस्तुत हुआ, उसको प्रतिवादित करने का कोई तथ्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है, अतः न्यायालय को वर्तमान प्रकरण में यह तय करना हैं कि वादीनी वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 123 रकबा 94 बीघा 05 विस्वा में 1/2 हिस्से की घोषणा करने की अधिकारिणी है ?

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादीनी ने जो वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी खतौनी सं. 2038–41 के अनुसार उक्त भूमि आनन्दसिंह के खातेदारी की दर्ज है, और जरिये म्युटेशन सं. 72 बाबूसिंह के नाम दर्ज होना अंकित है, प्रदर्श–2 की जमाबंदी अनुसार बाबूसिंह का नाम बतौर खातेदार रेकर्ड में नाम दर्ज है, और प्रदर्श–3 जमाबंदी अनुसार धनु कंवर प्रतिवादीनी का नाम रेकर्ड में दर्ज है । चूँकि वादीनी तत्समय के खातेदार आनन्दसिंह की पुत्री होने के नाते अपने आप को उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाह कर आयी है, जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए है, से तथ्य वादीनी की ओर से साबित हुआ है, कि उक्त भूमि आनन्दसिंह के खातेदारी की थी, और आनन्दसिंह की फौतगी पर बाबूसिंह के नाम दर्ज हुई । वादीनी आनन्दसिंह की पुत्री होने से उक्त भूमि में आनन्दसिंह के दो वारिस ही होना साबित होने से 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित कराने की अधिकारी प्रतीत होती है ।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर वादीनी को भूमि खसरा सं. 123 रकबा 94 बीघा 05 बिस्वा मौजा अराबा उड़ा तहसील पचपदरा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करें, । और प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है, कि वादीनी के कब्जा काश्त में कोई दखल/हस्तक्षेप कारित नहीं करें । डिक्री पर्चा जारी हो, खर्चा वादीनी अपना वहन करें ।

निर्णय आज तारीख 27/9/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भगीरथ राम)
सहायक कलक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code; Appendix 'D'1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर	SDO **मुकाम** बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :–	श्री **भागीरथराम आर.ए.एस.**

वादीनी	ब नाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती मोहर कंवर पुत्री आनंदसिंह धर्मपत्नि धुहड़सिंह जाति राजपूत निवासी जुड़िया पचपदरा तह. बालेसर		1. धमू कंवर बेवा बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी अराबा उड़ो तह. पचपदरा 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

वाद हेतु अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. राजस्व वाद सं. 80/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे **ब हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई चेलाराम कुमावत व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह – एकपक्षीय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि–** वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर वादीनी को भूमि खसरा सं. 123 रकबा 94 बीघा 05 बिस्वा मौजा अराबा उड़ा तहसील पचपदरा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करें । और प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है, कि वादीनी के कब्जा काश्त में कोई दखल/हस्तक्षेप कारित नहीं करें । वाद का व्यय पक्षकार अपना वहन करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 **माह** 9 **सन** 2017

को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

दस्तखत ....

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) बालोतरा